

समाज कार्य हस्तक्षेप के द्वारा वृद्धों की समस्याओं का समाधान

डॉ. ए. पी. सिंह, समाज कार्य विभाग, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

भारत वर्ष में वृद्ध व्यक्तियों को आदर एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। सामान्यतः वृद्धों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं का समाधान भारतीय संयुक्त परिवार में होता रहा है। परन्तु इस देश में संयुक्त परिवार का धीरे-धीरे विघटन हो रहा है तथा उसके स्थान पर एकल परिवारों का वर्चस्व बढ़ रहा है। इसके साथ-साथ व्यक्तिवादी, भौतिकवादी एवं सुखवादी मूल्यों के बढ़ने के कारण वृद्धों की उपेक्षा की जाने लगी है। इसके अतिरिक्त कुछ वृद्ध निराश्रिता की समस्या से भी ग्रसित हो जाते हैं परिणामस्वरूप उनके सामने आर्थिक समस्याएँ, स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय समस्याएँ, आवासीय समस्याएँ आदि बाधा बन जाती हैं।

व्यक्ति की वृद्धावस्था का अर्थ बूढ़े हो जाने की अवस्था या आयु से है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक शक्ति एवं मानसिक क्षमता में ढ़ास होता है। सामान्यतया, इस अवस्था के लिए आयु के मानदण्ड का प्रयोग किया जाता है जो आमतौर पर 60 वर्ष मानी जाती है। यद्यपि आयु सम्बन्धी मानदण्ड का निर्णय स्थानीय प्रशासन पर निर्भर करता है, परन्तु सामाजिक दृष्टि से वृद्धावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपना सक्रिय जीवन छोड़ चुका होता है, कार्य अथवा रोजगार छोड़ चुका होता है तथा बढ़ती हुई आयु के कारण अशक्ति का अनुभव करता है और परिवर्तित परिस्थितियों में मान्यताओं के ह्रास का भी अनुभव करता है।

बुजुर्गों की संख्या में लगातार वृद्धि होना आज दुनियाँ भर में नीति निर्धारकों के समक्ष एक बड़ी भारी चुनौती है। वृद्धों की आबादी में वृद्धि की प्रक्रिया विकसित राष्ट्रों में पहले से ही तीव्र गति पकड़ चुकी है तथा इक्कीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अधिकांश विकसित एवं विकासशील देशों में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ेगी।

आजादी के समय भारत वर्ष में 60 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाली आबादी लगभग सवा करोड़ थी जो 1951 में बढ़कर 2 करोड़ तथा 1991 में साढ़े पाँच करोड़ से अधिक हो गई। यह वृद्धि लगभग 180 प्रतिशत हुई है। इन प्रवृत्तियों के आधार पर यह बात सामने आयी है कि इक्कीसवीं शताब्दी के पहले दशक में 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के भारतीयों की संख्या लगभग 7.60 करोड़ हो गयी है जो 20 वर्षों में बढ़कर लगभग दोगुनी हो जायेगी।

आज भारतीय समाज में पारिवारिक विघटन के चलते बुजुर्ग अकेले पड़ते जा रहे हैं। परिवारों की उपेक्षा से त्रस्त होकर वे विभिन्न 'ओल्ड एज होम' में रह रहे हैं, जो नहीं गये हैं उनका जीवन मुश्किल हो गया है। ऐसे में उनमें मानसिक तनाव और अवसाद की स्थितियों ने जन्म ले लिया है और वे अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

वृद्धावस्था और मृत्यु मानव जीवन की अपरिहार्य और अनिवार्य अवस्था है। जीवन के अंतिम भाग में शारीरिक गिरावट के कारण व्यक्ति स्वयं के लिए समस्या के साथ-साथ निकट सम्बन्धियों तथा समाज के लिए समस्या बन जाता है। असुरक्षा और असमर्थता की भावना, परिवार, जाति, समुदाय में महत्व और पद घटने से उत्पन्न निराशा, तथा स्थितियों से समझौता न कर पाने की स्थिति से विवाद उत्पन्न होते हैं। प्राचीन काल में यहूदी, यूनानी, रोमन समाजों में मान्यता थी कि वृद्धों में अद्भुत दैवीय शक्ति, ज्ञान एवं अधिकार हैं जिनके विषय में शंका नहीं होती। भारत में भी संयुक्त परिवार प्रणाली का मुखिया के रूप में उनकी आज्ञा और निर्देशों को मानने की प्रथा थी। समुदाय के विकास के लिए उनके अनुभवों, गूढ़ विचारों को बहुमूल्य मानने की परम्परा रही है किन्तु आधुनिकता और प्रौद्योगिकी विकास से उत्पन्न परिस्थितियों का असर इन पारम्परिक भावनात्मक सम्बन्धों पर भी पड़ा है। अतः उन्हें पहले जैसा मान-सम्मान तथा आदर नहीं मिल पा रहा है।

कुल जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ भारत सहित अन्य देशों में वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यूनेस्को के अनुमान के अनुसार 1975 में 60 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या 3500 थी जो 2005 में लगभग 59 करोड़ हो गई। भारत में इनकी जनसंख्या 1951 में 2 करोड़ थी जो शताब्दी के अन्तिम वर्षों में 6 करोड़ को पार कर गयी और इक्कीसवीं शताब्दी के पहले दशक में लगभग 7.60 करोड़ हो गयी है।

वृद्धों की जनसंख्या में यह बढ़ोत्तरी चिकित्सा विज्ञान में सुधार, चिकित्सकीय सुविधाओं, रहन-सहन, जनसंख्या, मनोरंजन आदि के कारण हुई है, इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन के प्रभावी प्रस्तर से जन्म दर के कम होने और वृद्धों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित होती है। साथ ही प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उन्नत समाज का पर्यावरण वृद्धों की शारीरिक, भौतिक, मानसिक, सामाजिक दशाओं के प्रतिकूल है अतः उन्हें आर्थिक, शारीरिक असुरक्षा तथा एकाकीपन की कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। प्रतिष्ठा के घटने, भ्रष्टाचार, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासन हीनता, उच्छृंखलता व्याप्त होने के कारण वृद्ध जनों में निराशा एवं मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। देखने-सुनने की क्षमता, शारीरिक ऊर्जा एवं स्मरण शक्ति की क्षीणता, शारीरिक क्रियाओं के शिथिलता की ओर बढ़ने से उनका जीवन दुःखदायी हो जाता है। साथ ही मित्रों, जीवन साथी, शक्ति प्रभाव, आय, स्वास्थ्य जैसी चीजों से वंचित होने से उनमें उत्तेजना और भावुकता आने लगती है, सहनशीलता खत्म होने लगती है, ये शंकित होते जाते हैं। खराब स्वास्थ्य आर्थिक निर्भरता, कोई काम धंधा नौकरी न करने के कारण उनमें पर निर्भरता और अधिकार विहीनता की भावना पैदा हो जाती है। उनके मानसिक स्तर और युवाओं के मानसिक स्तर में अन्तर होने से भी समस्याएँ पैदा होती हैं। विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, वृद्ध महिलाओं की स्थिति अधिक कठिन कर देता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए श्रम पर आश्रित होते हैं, उनकी स्थिति चिन्ताजनक है। संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन तथा कमाऊ सदस्यों का दूर शहरों में जाने पर इनको असुरक्षा उदासीनता, मानसिक असंतोष आदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

वास्तव में वृद्धों की दो श्रेणियाँ होती हैं एक, वे जो सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें पेंशन तथा अन्य लाभ मिलते हैं, उन्हें आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समर्थता की आवश्यकता है। दूसरे, श्रम पर निर्भर बेसहारा गरीब जो शारीरिक क्षमता से हारकर सेवानिवृत्त हो जाते हैं जिन्हें जीवन के शेष दिन असुरक्षा और बेवसी में बिताने पड़ते हैं, इनके लिए सामाजिक सुरक्षा की नितान्त आवश्यकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में व्यवस्था है कि सरकार को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अनुसार बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और शारीरिक अयोग्यता आने तक तथा अन्य मामलों में काम करने के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, सार्वजनिक सहायता के अधिकार की पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराने की प्रभावी व्यवस्था करनी चाहिए। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में व्यवस्था है कि जिस व्यक्ति के पास आय के पर्याप्त साधन हों उसे

अपने माता-पिता की देखभाल करनी होगी यदि वे स्वयं अपना निर्वाह करने में असमर्थ हों। इन विधायी और विधिक प्रावधानों के अतिरिक्त बच्चों का यह नैतिक और धार्मिक कर्तव्य भी है।

वृद्धों के विषय में 1982 में वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्ययोजना में कहा गया कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि ऐसा छुपा संशोधन है जिसकी सही प्रेरणा और उपयोग से युवकों के शहरी पलायन में उत्पन्न जनशक्ति के ह्रास को पूरा किया जा सकता है और ग्रामीण वृद्धों की पराधीनता, परनिर्भरता की सुरक्षा व्यवस्था करके मदद भी मिल सकती है, उनके राष्ट्रीय जीवन तथा उत्पादन क्षेत्र में सक्रिय सहयोग प्रदान कर उनकी प्रतिष्ठा स्थापित की जा सकती है।

कुपोषण और बीमारी के अतिरिक्त जीवन शैली का भी आयु पर असर पड़ता है। लम्बी बीमारी, अधिक पारिवारिक दायित्व, निरन्तर चिंता, अधिक धूम्रपान, मद्यमान से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अतः स्वास्थ्य, शिक्षा से बचाव के उपाय अपनाने से वृद्धावस्था में व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं। मौजूदा चिकित्सा सुविधाओं के अतिरिक्त वृद्धों के लिए चिकित्सा शिविर और चलते-फिरते औषधालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। कुछ गम्भीर बीमारियों हृदय, मस्तिष्क कैंसर, बहरापन, दृष्टिहीनता में परनिर्भरता अवश्यभावी है किन्तु सावधानियाँ बरत कर कष्टों से बचा जा सकता है।

चूँकि वृद्धों को अपने अधिकांश कार्य घर पर ही करने होते हैं अतः उनके रहने के लिए उचित स्थान एवं वातावरण चाहिए। मकान भी ऐसा चाहिए जहाँ वे अपने ढंग से रह सकें और गिरते स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। कुछ मामलों में ग्रुप हाउसिंग में रहना बेहतर होता है जिससे कि वे अकेलेपन से बच सकें।

आज वर्तमान समय में वृद्धों की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है क्योंकि पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन से उत्पन्न समस्याओं ने इनकी परिस्थितियों में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिये हैं जोकि सामंजस्य बनाये रखने में कारगर परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति और आधुनिकीकरण के दुष्प्रभावों से व्यक्ति की वृद्धावस्था प्रभावित हो रही है वह जीविकोपार्जन सम्बन्धी समस्याओं के मकड़जाल में बुरी तरह फँस चुका है। वृद्धों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन एवं उनका समाधान इस शोध की प्राथमिकता है।

उपकल्पना

प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित कुछ उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया। चूँकि अध्ययन वृद्धों की समस्याओं और उनके समाधान से सम्बन्धित था, अतः उपकल्पनाओं में अध्ययन की प्रकृति, विषय, अनुभव सिद्धता आदि को ध्यान में रखा गया था जो निम्न थीं :

- (1) पारिवारिक विघटन एवं सामाजिक विघटन के परिणामस्वरूप वृद्धों को मानसिक तनाव से जूझना पड़ रहा है।
- (2) पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से परिवारों में तनाव आया है और सम्बन्धों में खटास उत्पन्न हुई है।
- (3) समाज में युवाओं द्वारा वृद्धों की उपेक्षा की जाती है।
- (4) वृद्धों में एकाकीपन उनके कार्य न करने तथा अधिकांश समय खाली रहने से उत्पन्न हुआ है।
- (5) भावनात्मक रूप से वृद्धों में ऐसी भावनाओं ने जन्म ले लिया है कि उनका यही हाल मृत्यु तक रहेगा कोई उनके लिये प्रयास नहीं करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- (1) वृद्धों का पार्श्वचित्र प्रस्तुत करना।
- (2) वृद्धों की पारिवारिक विघटन से उत्पन्न समस्याओं की जानकारी करना।
- (3) वृद्धों की आर्थिक, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना।
- (4) समाज और वृद्ध व्यक्तियों के मध्य आये अन्तर को जानना।
- (5) वर्तमान में वृद्धों की वास्तविक स्थिति क्या है? को जानने का प्रयास करना।
- (6) वृद्धों के पर्यावरण की जानकारी करना।
- (7) वृद्धों के दैनिक क्रियाकलापों का अध्ययन करना।
- (8) मानसिक, शारीरिक समस्याओं को दृष्टिगत करते हुए स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं की जानकारी करना।
- (9) वृद्ध लोगों द्वारा किये जा रहे कार्यों अथवा श्रम का अध्ययन करना।
- (11) समाज कार्य हस्तक्षेप के माध्यम से वृद्धों को कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता प्रदान करना।

अध्ययन का विषय क्षेत्र

वृद्धों की समस्याओं पर आधारित यह अध्ययन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के विकास खण्ड भरावन पर आधारित है। इस अध्ययन में मुख्य रूप से उन वृद्धों को सम्मिलित किया गया है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या जो शारीरिक और मानसिक रूप से भी वृद्ध हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में गाँवों में रहने वाले वृद्धों को रखा गया है। सर्वप्रथम विकासखण्ड जाकर शोधकर्ता ने सम्पूर्ण गाँवों की सूची प्राप्त की जिसमें 51 ग्रामसभाओं के अन्तर्गत 253 ग्रामों का उल्लेख था, अनुसंधानकर्ता ने इसमें से 10 गाँवों का चयन लाटरी विधि के माध्यम से किया और उसमें रहने वाले 1108 वृद्धों की सूची बनाकर गैर-समानुपातिक सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शन के आधार पर 300 वृद्धों को अध्ययन के लिए चयनित किया, चूँकि अध्ययन से पूर्व 300 वृद्धों का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता ने योजना बनाई थी।

अध्ययन का प्रारूप

अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना का सम्बन्ध नये तथ्यों की खोज से है। प्रस्तुत अध्ययन का विषय काफी सामाजिक एवं प्रासंगिक है। अतः इस समस्या के अन्तर्निहित कारणों की खोज करना आवश्यक है। प्रस्तुत अनुसंधान कार्य को ऐसा स्वरूप दिया गया है ताकि समस्या की प्रकृति एवं प्रक्रियाओं के वास्तविकताओं की खोज की जा सके। वृद्धावस्था की समस्या एक नितान्त गम्भीर समस्या है जिसने समाज में लोगों की सोच और संस्कारों को परिवर्तित कर डाला है। इसके दुष्प्रभावों से आज समाज में विकराल कुरीतियों का जन्म होता जा रहा है। लोग आपस में प्रेम बन्धुत्व की भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, इसका कारण तीव्र औद्योगीकरण और तीव्र आर्थिक विकास है। जहाँ जनसंख्या ने अपना विस्फोटक रूप धारण कर लिया है वहीं लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ-साथ वृद्धावस्था में और वृद्धों की समस्याओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होना चिन्ता का विषय है। प्रस्तुत अनुसंधान में वृद्धों की समस्याओं के कारणों को जानने का प्रयास किया गया है। उपकल्पनाओं के निर्माण में भी अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना काफी मदद करती है। प्रस्तुत अध्ययन का स्वरूप अन्वेषणात्मक रखा गया है ताकि समस्या से सम्बन्धित नवीन तथ्यों की प्राप्ति हो सके।

अध्ययन का विषय काफी गम्भीर तथा जीवन्त है। अतः अनेक यथार्थ तथ्यों की प्राप्ति होगी। इन तथ्यों का क्रमबद्धता के साथ वर्णन करना भी इस शोध का एक लक्ष्य है। अगर अनुसंधानकर्ता तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत नहीं करता तो वह अनुसंधान काल्पनिक एवं दार्शनिक ज्यादा हो जायेगा। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं के सम्बन्ध में विभिन्न जानकारी, उनके परिवार से सम्बन्ध, प्रमुख समस्याएँ, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य एवं अन्य गम्भीर समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में तथ्यात्मक जानकारी वृहद रूप में एकत्रित की गयी है अतः इस अनुसंधान की ऐसी प्ररचना बनायी गयी है कि तथ्यों को ज्यादा से ज्यादा वर्णनात्मक स्वरूप प्रदान किया जा सके।

इस अनुसंधान की संरचना को निदानात्मक स्वरूप भी प्रदान किया गया है। वास्तव में अध्ययन में समाज कार्य हस्तक्षेप हो तो उस समस्या के निहित कारणों को जानने के पश्चात उसके निदान हेतु आवश्यक सुझाव देना आवश्यक होता है ताकि उस समस्या की गति को रोका जा सके और साथ ही समस्या को समाप्त किया जा सके। निदानात्मक शोध किसी विशिष्ट सामाजिक समस्या के निदान की खोज से सम्बद्ध होता है, इसका तात्पर्य है कि मात्र ज्ञान प्राप्त करना ही इसका लक्ष्य नहीं होता वरन् स्वस्थ दिशा देना भी इसका लक्ष्य होता है।

आँकड़ों के स्रोत

प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के दोनों स्रोतों का प्रयोग किया गया है, क्षेत्रीय स्रोत के रूप में उत्तरदाताओं से सीधी सूचना प्राप्त की गई है तथा प्रलेखीय स्रोत के रूप में वृद्ध व्यक्तियों से सम्बन्धित सर्वेक्षण, अभिलेख, पुस्तकों से (किये गये अध्ययनों से) लेखन सामग्री प्राप्त की गई है। यथेष्ट सामग्री को इस अध्ययन में पिरोया गया है जिससे इसे सामयिक एवं पूर्ण साहित्यिक रूप में सुसज्जित किया जा सके।

आँकड़ों के संग्रह की विधि

आँकड़ों को एकत्रित करने की प्रविधियों के आधार इन ढंगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्यक्ष ढंग का प्रयोग किये जाने की स्थिति में शोधकर्ता अन्य व्यक्तियों से आँकड़ें प्राप्त करता है। *पार्टन* के मत में, सूचना प्राप्त करने के प्रमुख ढंग वैयक्तिक साक्षात्कार, पर्यवेक्षणीय ढंग, अभिलेख युक्तियों, टेलीफोन साक्षात्कार, डाक प्रश्नावली, रेडियो, टेलीविजन, अपील पैनल प्रविधि इत्यादि हैं। (पार्टन एम, 71) किन्तु इनमें से पर्यवेक्षण एवं साक्षात्कार ही प्रमुख हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में गुणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। चूंकि अध्ययन के विषय में उत्तरदाताओं की रुचियों, उनकी मनोवृत्ति, मानवीय गुण आदि समाहित हैं। अतः अध्ययन के तथ्यों में जटिलता आना स्वाभाविक था। इसलिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस अनुसंधान में निम्नलिखित पद्धतियों का प्रयोग किया गया है।

साक्षात्कार पद्धति

किसी भी अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तथ्य अत्यधिक विश्वसनीय एवं उपयोगी होते हैं। साक्षात्कार वह व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास जाकर उनसे मिलकर प्रश्न पूँछकर तथ्यों का आलेखन करता है। साक्षात्कार के द्वारा अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं के आन्तरिक जीवन में प्रवेश करता है। वह उत्तरदाताओं से बातचीत के द्वारा उनके अनुभवों, संवेगों, भावनाओं, मनोवृत्तियों आदि का पता लगाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में विषय की गम्भीरता को देखते हुए साक्षात्कार पद्धति को अपना उचित प्रतीत हुआ। इस अध्ययन में वृद्ध व्यक्तियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क करके उनके जीवन के विभिन्न पक्षों के साथ विषय-वस्तु से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर केवल इसी प्रविधि द्वारा प्राप्त होने की सम्भावना थी। अनुसंधानकर्ता ने साक्षात्कार हेतु अध्ययन से सम्बन्धित विभिन्न गाँवों में जाकर उत्तरदाताओं से मिलकर उनसे बातचीत कर तथ्यों को प्राप्त किया। साक्षात्कार के समय अनुसंधानकर्ता को इस बात का पूरा ध्यान था कि उत्तरदाताओं से ऐसे प्रश्न न पूँछे जायें जो उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हों और जिनका उत्तर देने में वे असुविधा महसूस करें।

अनुसंधानकर्ता ने साक्षात्कार पद्धति में व्यक्तिगत साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग किया न कि सामूहिक साक्षात्कार।

साक्षात्कार प्रक्रिया या तो उत्तरदाता के घर पर या किसी ऐसी जगह जहाँ उत्तरदाता चाहता था, पूरी की गई।

अवलोकन पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने देखा कि अधिकांश उत्तरदाताओं के घरों में पारिवारिक माहौल ठीक नहीं था इसीलिए उत्तरदाताओं ने शोधकर्ता को अकेले तथा एकांत में मिलने की बात कही। उत्तरदाता अपने वर्तमान जीवन से असंतुष्ट थे, उनमें हीन भावना ग्रसित हो गई थी। अनुसंधानकर्ता ने अवलोकन करने के पश्चात पाया कि वृद्ध व्यक्तियों को स्वास्थ्य से सम्बन्धित कई प्रकार की समस्याएँ हैं, इनका कारण नशीले पदार्थों के सेवन के साथ-साथ अन्य अनेक ऐसी बातें हैं जो इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं।

इस तरह से अनुसंधानकर्ता ने साक्षात्कार करते समय गहन अवलोकन भी किया।

अध्ययन के यंत्र

तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा किया गया। इसके द्वारा ठोस एवं यथार्थ सूचनाओं की प्राप्ति सम्भव होती है। इसके द्वारा वृद्धों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करके सूचनाएँ एकत्रित की गईं।

अनुसूची परीक्षण

अनुसूची निर्माण के पश्चात् इसकी सार्थकता एवं उपयुक्तता की जाँच कर इसका परीक्षण किया गया जिससे अनुसूची की कठिनाइयों, कमियों, सार्थकता तथा उपयुक्तता की जाँच साक्षात्कार से पूर्व हो सके।

प्रतिदर्शन का चयन

प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययन की इकाइयों के चयन हेतु गैर-समानुपातिक स्तरीकृत सरल यादृच्छिक निदर्शन प्रणाली का प्रयोग किया गया है। निदर्शन की इस प्रणाली के प्रारम्भ में इस आधारभूत मान्यता को स्वीकार किया जाता है कि अनुसंधानकर्ता समग्र के लक्षणों से पूर्ण परिचित है। समग्र से सम्बन्धित व्यक्तिगत आधार पर अनुसंधानकर्ता स्वयं यह निश्चित करता है कि समग्र के अन्तर्गत कौन सी इकाइयाँ पूर्णतया प्रतिनिधिपूर्ण हैं। इस प्रकार अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुसंधानकर्ता प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करता है।

अनुसंधानकर्ता ने हरदोई जनपद के विकास खण्ड भरावन जाकर समस्त ग्रामसभाओं की सूची प्राप्त की, जिससे यह पता चलता है कि उक्त विकास खण्ड में 51 ग्राम सभाएँ हैं, जिनमें 253 गाँवों का विवरण है, इन 253 गाँवों के

अन्तर्गत आने वाले गाँवों में से अध्ययनकर्ता ने लाटरी विधि से सर्वप्रथम दस गाँवों का चयन किया, जिनकी सूची इस प्रकार है।

(i) अतरौली	(v) जगसरा	(ix) हिरई खेड़ा
(ii) मोहददीपुर	(vi) नेवादा	(x) ढिकुन्नी
(iii) पिपरी	(vii) बरगदी	
(iv) भटपुर	(viii) परसा	

इन गाँवों से गैर-समानुपातिक स्तरीकृत सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि के आधार पर 300 वृद्धों का चयन किया गया है। इस हेतु सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता द्वारा आधारभूत सर्वेक्षण करके वृद्धों की कुल संख्या के बारे में जानकारी की गई, जिससे पता चला कि दस गाँवों में वृद्धों की कुल संख्या 1108 है। इसमें से 300 वृद्धों के चयन हेतु गाँवों से गैर समानुपातिक स्तरीकृत सतर यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि का प्रयोग करते हुये प्रत्येक गाँव से समान संख्या (30 अध्ययन हेतु) में इकाइयों चयनित की गयी हैं, जिनका चयन सरल यादृच्छिक विधि की अनियमित अंकन विधि से किया गया है। प्रत्येक गाँव से गैर-सामनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रकार से वृद्धों का चयन किया गया है :

ग्राम	वृद्धों की कुल संख्या	चयनित की गयी प्रतिदर्श इकाइयों
(i) अतरौली	155	30
(ii) मोहददीपुर	91	30
(iii) पिपरी	76	30
(iv) भटपुर	148	30
(v) जगसरा	104	30
(vi) नेवादा	98	30
(vii) बरगदी	101	30
(viii) परसा	100	30
(ix) हिरईखेड़ा	90	30
(x) ढिकुन्नी	145	30
योग	1108	300

अन्ततः अध्ययन के लिए चयनित 10 गाँवों के कुल 1108 वृद्धों में से प्रतिदर्श के रूप में चयनित 300 वृद्धों का अध्ययन करने के लिए गैर-समानुपातिक स्तरीकृत सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शन का प्रयोग किया है और प्रत्येक गाँव से 30 इकाइयों का चयन अनियमित अंकन विधि से किया गया है। प्रस्तुत शोध में वृद्धों से विस्तृत सूचनाओं के संकलन के लिए बहुसोपानीय प्रतिदर्शन के आधार पर प्रतिदर्श से कुछ उपप्रतिदर्शों का वैयक्तिक अध्ययन किया गया है।

संग्रहीत तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारिणीयन

प्रस्तुत अध्ययन में संकलित आँकड़ों का वर्गीकरण करके उन्हें सारिणियों में सूचीबद्ध एवं श्रेणीबद्ध किया गया। एक चरीय तथा बहुचरीय दोनों प्रकार की सारिणियों को बनाया गया ताकि आँकड़ों के विवरण के साथ-साथ इनका तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सके। तत्पश्चात संकलित सूचनाओं का चित्रमय प्रदर्शन भी किया गया है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

शोध प्रबन्ध का पहला अध्याय अनुसंधान प्ररचना एवं विधितंत्र से सम्बन्धित है। जिसमें अध्ययन के उद्देश्यों, परिकल्पनाओं, अध्ययन की प्रकृति एवं विषय-क्षेत्र, विधितंत्र जिसके अन्तर्गत आँकड़ों के स्रोत, समग्र एवं प्रतिदर्श का निर्धारण, तथ्य संकलन की पद्धति एवं प्रविधि, आँकड़ों के संकलन की विधि, आँकड़ों का सम्पादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारिणीयन, आँकड़ों का विश्लेषण एवं विवेचन तथा शोध प्रबन्ध अभिलेख सम्बन्धी अपनायी गयी विधियों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

शोध प्रबन्ध के दूसरे अध्याय में वृद्ध व्यक्तियों की समाज में स्थिति, वृद्धावस्था में होने वाली समस्याओं तथा इससे शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इसके अन्तर्गत वृद्धों की समस्याओं को दृष्टिगत करते हुए, विभिन्न देशों के अनुभवों का सम्मिश्रण करते हुए, यह जानने का प्रयास किया गया है कि आखिर वह कौन से कारक हैं जिनसे हमारे समाज द्वारा प्रभावित होकर वृद्धों की उपेक्षा की जाती है। साथ ही साथ इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विभिन्न देशों में वृद्धों के लिए किन सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

शोध प्रबन्ध के तीसरे अध्याय में उत्तरदाताओं के पार्श्व चित्र का वर्णन किया गया है इसके अन्तर्गत (41.33 प्रतिषत) उत्तरदाता 60-62 आयु वर्ग के हैं तथा पुरुषों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा अधिक है। उत्तरदाताओं की औसत आयु 66.07 वर्ष पायी गयी। अधिसंख्य (68.33 प्रतिषत) उत्तरदाता हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं इनमें सबसे अधिक (38.05 प्रतिषत) पिछड़ी जाति के हैं तथा 31.67 प्रतिषत उत्तरदाता मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं, सबसे अधिक (12.33 प्रतिषत) उत्तरदाता कुर्मी हैं। सर्वाधिक (25.33 प्रतिषत) उत्तरदाता निरक्षर हैं, सबसे अधिक (44.67 प्रतिषत) उत्तरदाता विवाहित हैं तथा सबसे कम (0.67 प्रतिषत) उत्तरदाता तलाकपुदा हैं। सबसे अधिक (38.33 प्रतिषत) उत्तरदाता घरेलू कार्य करते हैं। सर्वाधिक (36.67 प्रतिषत) उत्तरदाताओं की मासिक आय 800 रुपये से कम है। उत्तरदाताओं की मासिक आय का औसत रुपये 1579 पायी गयी है।

चौथे अध्याय में वृद्धों की परिवारिक स्थिति, भूमिका, उत्तरदायित्व, सुरक्षा और देखभाल का वर्णन किया गया है। इसके अन्तर्गत सर्वाधिक (54.00 प्रतिषत) उत्तरदाताओं के परिवार का स्वरूप एकाकी है, समस्त परिवारों के सदस्यों की संख्या 1 से 10 के बीच है। सर्वाधिक (24.67 प्रतिषत) परिवार में 5 सदस्य हैं। परिवार के आकार की औसत संख्या 5.22 पायी गयी है, सर्वाधिक (47.00 प्रतिषत) परिवारों की मासिक आय 3000 से 6000 रुपये के मध्य है। इनके परिवारों की मासिक आय का औसत रु. 5340 पाया गया। बहुसंख्य (83.67 प्रतिषत) उत्तरदाताओं के परिवारों की उनसे आकांक्षाएं हैं, सर्वाधिक (33.86 प्रतिषत) उत्तरदाताओं के परिवार की उनसे आकांक्षा है कि वह परिवार के दिन-प्रतिदिन

के कार्यों में अपनी भागीदारी निभायें। बहुसंख्य (93.00 प्रतिषत) उत्तरदाता युवाओं से सम्मान एवं आदर की आकांक्षा करते हैं। अधिसंख्य (56.33 प्रतिषत) उत्तरदाताओं की उनके परिवार द्वारा सहायता की जाती है। अधिसंख्य (64.67 प्रतिषत) उत्तरदाताओं की उनके परिवार में भूमिका है, सबसे अधिक (44.33 प्रतिषत) उत्तरदाताओं की रोगग्रस्तता के समय परिवार के सदस्यों के द्वारा देखभाल की जाती है, अधिसंख्य (56.33 प्रतिषत) उत्तरदाताओं की उनके परिवार द्वारा आकांक्षाओं की पूर्ति कभी-कभी होती है, शतप्रतिशत (99.50 प्रतिषत) उत्तरदाताओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी आकांक्षाएं पूरी नहीं होतीं, सबसे अधिक 30.67 प्रतिषत उत्तरदाताओं की धार्मिक क्रिया-कलापों में रुचि है, अधिसंख्य (55.66 प्रतिषत) उत्तरदाताओं के पारिवारिक मामलों में सहभागिता है, बहुसंख्य (78.00 प्रतिषत) उत्तरदाताओं के परिवार में अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है, सबसे अधिक (38.03 प्रतिषत) उत्तरदाताओं को पारिवारिक मामले में अपने अधिकारों के प्रयोग की स्वतंत्रता है, अधिसंख्य 60.60 प्रतिषत उत्तरदाताओं के पुत्रों के पास उनके लिए समय नहीं है, सर्वाधिक (51.33 प्रतिषत) उत्तरदाताओं की उनके परिवार में निर्णय लेने में कोई भूमिका नहीं है, अधिसंख्य (71.23 प्रतिषत) उत्तरदाताओं की बच्चों के शिक्षा के सम्बन्ध में निर्णय लेने की भूमिका है, अधिसंख्य (61.34 प्रतिषत) उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्य घरेलू कार्यों में उनकी भूमिका से सन्तुष्ट हैं, अधिसंख्य (71.34 प्रतिषत) उत्तरदाता स्वयं अपने कार्यों से अत्यधिक सन्तुष्ट हैं, सर्वाधिक (55.00 प्रतिषत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है, लगभग शतप्रतिशत (97.03 प्रतिषत) उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों की आज्ञा न मानने का कारण उनके पास धन नहीं है।

पॉचवें अध्याय में वृद्धों की समस्याओं और उनका सामाजिक विभेदीकरण का वर्णन किया गया है इसके अन्तर्गत अधिसंख्य (61.34 प्रतिषत) उत्तरदाताओं का स्वास्थ्य खराब है, बहुसंख्य (82.96 प्रतिषत) उत्तरदाताओं को स्वास्थ्य खराब होने के कारण चलने-उठने में कठिनाई है, सर्वाधिक (47.67 प्रतिषत) उत्तरदाता चिकित्सा के प्रकार में झाड़फूक पर अत्यधिक विष्वास करते हैं, सर्वाधिक (36.34 प्रतिषत) उत्तरदाता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम आय में ही संतोष करते हैं, शतप्रतिशत (99.33 प्रतिषत) उत्तरदाताओं के अनुसार वृद्धावस्था में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं होती हैं, अधिसंख्य (70.00 प्रतिषत) उत्तरदाताओं को वृद्धावस्था में अकेलापन तथा सामाजिक अलगाव की भावना महसूस होती है, अधिसंख्य (56.34 प्रतिषत) उत्तरदाता हीनता की भावना महसूस करते हैं, सर्वाधिक (54.00 प्रतिषत) उत्तरदाताओं का वृद्धावस्था के कारण परिवार में कोई महत्व नहीं है, अधिसंख्य (64.33 प्रतिषत) उत्तरदाताओं का परिवार विघटित है, बहुसंख्य (84.97 प्रतिषत) उत्तरदाताओं के परिवार में विघटन का कारण पारिवारिक कलह है, बहुसंख्य (80.66 प्रतिषत) उत्तरदाताओं में पूर्व के समय की अपेक्षा वर्तमान परिस्थितियों से समायोजन की क्षमता नहीं है, सभी (100.00 प्रतिषत) उत्तरदाताओं का मानना है कि पूर्व में लोग एक दूसरे की सहायता को तत्पर रहते थे लेकिन वर्तमान में किसी के पास दूसरे के लिए समय नहीं है, बहुसंख्य (95.33 प्रतिषत) उत्तरदाताओं के अनुसार परिवार में पूर्व में बड़े-बूढ़ों की भूमिका प्रमुख थी, सबसे अधिक (37.67 प्रतिषत) उत्तरदाताओं के परिवार में वर्तमान समय में पुत्र की प्रमुख भूमिका है, बहुसंख्य (84.00 प्रतिषत) उत्तरदाता अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, बहुसंख्य (81.74 प्रतिषत) उत्तरदाता स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार की समस्या के कारण अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, सर्वाधिक (66.33 प्रतिषत) उत्तरदाता अपने खाली समय में घरेलू कार्य करते हैं, सबसे अधिक (29.67 प्रतिषत) उत्तरदाता प्रतिदिन चार घंटे कार्य करते हैं, बहुसंख्य (95.66 प्रतिषत) उत्तरदाताओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं हैं, अधिसंख्य (78.66 प्रतिषत) उत्तरदाताओं को कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है।

छठे अध्याय के अन्तर्गत वृद्धों के लिए चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को रखा गया है। केन्द्र एवं राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त वरिष्ठ नागरिकों हेतु संरक्षण को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

सातवें अध्याय में, वृद्ध व्यक्तियों से विस्तृत सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित 10 वृद्धों का वैयक्तिक अध्ययन किया गया तथा उनकी समस्याओं का सामाजिक निदान एवं समाधान प्रस्तुत किया गया है।

आठवें अध्याय में वृद्धों की समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न रोचक पहलुओं को रखा गया है तथा समाज कार्य की विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से सामाजिक निदान एवं उपचार किया गया है।

सुझाव

इस अध्याय में सम्पूर्ण शोध अध्ययन का परिणाम एवं निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कुछ ठोस सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं।

वर्तमान समय में वृद्धों की उनके परिवार में भूमिका चिंता का विषय है। कोई भी कार्य, मांगलिक उत्सव, निर्णय-निर्धारण में वृद्धों की अनदेखी की जा रही है, उनके अनुभवों का लाभ परिवार वाले नहीं उठाना चाहते हैं। युवाओं के लिए तो वृद्ध व्यक्ति एक बोझ हैं उनके लिए इनकी सहायता करना दया है। अधिकांशतः वृद्धों को आज के युवाओं की नीतियां पसन्द नहीं हैं वे हस्तक्षेप के मामले में स्वयं को असहाय महसूस करते हैं।

वर्तमान समय में वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय दिलाने के लिए मुख्य आवश्यकता जागरूकता के प्रसार की है। इन्हें सामाजिक न्याय का आष्वसन देते हुए प्रमुख समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न जागरूकता पिविरो, संगोष्ठियों, सामूहिक चर्चाओं, बैठकों आदि में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। वृद्धों की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं :

1. वृद्धों के लिए सर्वप्रथम चिकित्सकीय सुविधाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रत्येक गाँव में या एक समुदाय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जानी नितान्त आवश्यक है।
2. वृद्धों के लिए समुदाय के आन्तरिक एवं वाह्य संसाधनों की जानकारी कराने, उन्हें अपनी समस्याओं का स्पष्ट रूप से प्रकटन करने के लिए एक मंच की आवश्यकता है, जहाँ पर वृद्ध अपनी भावनाओं, इच्छाओं को खुले मन से दृष्टित या व्याख्यित कर सकें।
3. वृद्धों के परिवारजनों को उनकी भूमिका के परिप्रेक्ष्य में जागरूक कराने और बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं से आदर-सम्मान हेतु आवश्यक जानकारियों के लिए एक मंच की स्थापना करने की आवश्यकता है।

4. वृद्धों के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जागरूकता का प्रसार किये जाने की आवश्यकता है।
5. ग्रामीण स्तर पर योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विशेषज्ञों से सलाह की जानी चाहिए।
6. वृद्धों के लिए ऐसे सामाजिक पर्यावरण को तैयार किया जाये जहाँ वे अपने को स्वतंत्र महसूस कर सकें।
7. वृद्धों को समाज द्वारा हेय दृष्टि से देखा न जाये बल्कि उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाये।
8. वृद्धों के लिए ग्रामीण स्तर पर वृद्ध आवासों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
9. जिला स्तर पर वृद्धों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।
10. वृद्धों के अनुभवों का ध्यान रखते हुए उनसे सलाह मशविरा किया जाये।
11. वृद्धों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये।
12. किसी भी कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए वृद्धों से सहयोग लिया जाये।

अध्ययन की सीमाएँ

प्रत्येक अध्ययन को बोधगम्य बनाने एवं यथार्थ तक पहुँचाने के लिए शोध का सीमांकन करना जरूरी है। अगर शोध को विस्तृत बना दिया जाये तो अनुसंधानकर्ता लक्ष्य से भटक भी सकता है। अतः आवश्यक है कि हम लक्ष्य के निकट पहुँचने के लिए सम्पूर्ण अध्ययन की सीमाएँ तय कर लें। मैंने भी अपने शोध कार्य को सुव्यवस्थित एवं तार्किक बनाने के लिए निम्नलिखित सीमाओं में सीमांकन किया है।

1. इस शोध का अध्ययन क्षेत्र मुख्यतया ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है इसमें शहरी क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया है।
2. इस शोध में वृद्ध (महिलाओं एवं पुरुषों) लोगों का अध्ययन किया गया है।
3. अध्ययन में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है।
4. तथ्यों का संकलन क्षेत्रीय स्रोतों पर आधारित है, अर्थात् अनुसंधानकर्ता ने प्रत्येक उत्तरदाता से स्वयं मिलकर तथ्यों का संकलन किया है।
5. उत्तरदाताओं के चयन में गैर-समानुपातिक स्तरीकृत सरल यादृच्छिक निदर्शन का प्रयोग किया गया है।
6. अध्ययन का स्वरूप वर्णनात्मक, निदानात्मक एवं अन्वेषणात्मक है।
7. साक्षात्कार अनुसूची में ऐसे प्रश्नों का बिल्कुल समावेश नहीं किया गया है, जिसके कारण उत्तरदाता हीनता का अनुभव करें एवं उत्तर देने में हिचकिचाहट का अनुभव करें।
8. अध्ययन में उत्तरदाताओं की इच्छाओं और अनिच्छाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रश्नों को नहीं सम्मिलित किया गया है जो उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हों।

संदर्भ ग्रन्थ-सूची

- फ्लायड ए0बाण्ड-ओवर नीडी एजेड : ए कैलिफोर्निया स्टडी आफ ए नेशनल प्रब्लम-न्यूयार्क, हेनरी होल्ट एण्ड कम्पनी, 1954।
- अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्गस (सम्पादन)-एजिंग एण्ड रिटायर्मेण्ट-द अमेरिकन जर्नल आफ सोषियोलॉजी, जनवरी 1954।
- एलिजाबेथ ब्रेकिनरिज-इफेक्टिव यूज आफ ओल्डर वर्कर्स-षिकागो, विलकाक्स एण्ड फालेट कम्पनी, 1953।
- मिल्टन डर्बर (सम्पादन)-द एजेड एण्ड सोसाइटी : ए सिम्पोजियम आन द प्रब्लम्स आफ एन एजिंग पापुलेशन-सैम्पेन (इलियानोइस), इंडस्ट्रीयल रिलेयन्स रिसर्च एसोसियेशन, 1950।
- विल्मा डोना ह्यू और क्लार्क टिबिट्स (सम्पादन)-ग्रींग इन द ओल्डर इयर्स-एन आर्बर, यूनिवर्सिटी आफ मिशिगन प्रेस, 1951।
- प्लैनिंग द ओल्डर इयर्स-प्रकाशन वही, सन् 1951।
- विल्मा डोना ह्यू, जेम्स रे (जूनियर), और रोजगर बी. बेरी (सम्पादन)- रिहैबिलिटेशन आफ द ओल्डर वर्कर्स-प्रकाशक वही, 1953।
- अब्राहम एपिस्टाइन-द चैलेन्ज आफ द एजेड, न्यूयार्क, द वानगार्ड प्रेस, 1928।
- फ्रैन्क बुक आन एजिंग-वार्षिकतन डी. सी., फेडरल सेक्योरिटी एजेन्सी, कमीटी आन एजिंग एण्ड जेरियाट्रिक्स, यू. एस. गवर्नमेण्ट प्रिंटिंग आफिस, 1952।
- सुसान. एच. कूबी और जेरट्रुड लैण्डाउ, ग्रुप वर्क विथ द एजेड, न्यूयार्क इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटीज प्रेस, 1953।
- जेरोम कैप्टन, ए सोशल प्रोग्राम फार ओल्डर पीपुल-मिनियापोलिस यूनिवर्सिटी आफ मिनेसोटा प्रेस, 1953।
- मैन एण्ड हिज इयर्स-एन एकाउण्ट आफ द फर्स्ट नेशनल कान्फरेन्स आन एजिंग, स्पान्सर्ड बाई द फेडरल सेक्योरिटी एजेन्सी, रेले, एन. सी, हेल्थ पब्लिकेशन्स इन्स्टीट्यूट 1951।
- जिनेवा मेथियासेन (सम्पादन)-क्राइटेरिया फार रिटायर्मेण्ट-न्यूयार्क, जी. पी. पुटनम्स सन्स, 1953।
- पाल बी0मेस और जे. लेनार्ड सेडरलीफ, ओल्डर पीपुल एण्ड द चर्च-नौषविले, एलिंगडन-कोक्सबरी प्रेस, 1949।
- राबर्ट टी. मोनरो, डिजीजेज इन ओल्ड एज, केम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1951।